न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन(राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुन्दर लाल खारोल, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद(विवाह विच्छेद) संख्याः— **86 / 2024**

श्रीमती पिंकी पत्नी निर्मल कुमार पुत्री मदनलाल, निवासी मातासुखा, तहसील नावां, हाल निवासी भाटों का बास, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना—कुचामन।

———वादिया

बनाम

निर्मल कुमार पुत्र श्रवण कुमार, निवासी मातासुखा, तहसील नावां, जिलाः डीडवाना—कुचामन।

——प्रतिवादी

दावा बाबत् विवाह विच्छेद घोषणा

उपस्थितिः—

1. श्री मुश्ताक खान, अधिवक्ता वादिया की ओर से।
2. श्री महेश पारीक, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

::—निर्णय ::—

दिनांक : 02—05—2026

1. इस आदेश के जरिए वादिया श्रीमती पिंकी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद बाबत् घोषणा विवाह—विच्छेद के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।
2. वादिया ने वादपत्र में यह अभिकथित किया है कि वादिया व प्रतिवादी आदिवासी श्रेणी में अनुसूचित है। वादिया श्रीमती पिंकी का विवाह दिनांक 27—11—2016 को प्रतिवादी निर्मल कुमार के साथ कस्बा कुचामन में आदिवासी समाज की स्थानीय विधि व समाज में प्रचलित हिन्दू अनुष्ठान के अनुसार संपादित हुआ था। वादिया व प्रतिवादी विधिक रूप से पति—पत्नी है। उक्त विवाह के उपरान्त पक्षकारान के एक पुत्र पर्सून एवं पुत्री सुश्री राशिका उत्पन्न हुए। दोनों पक्षों के मध्य वैचारिक मतभेदों के कारण निरन्तर आपसी दाम्पत्य सम्बन्धों में मतभेद हो गए। परिणामस्वरूप वादिया का प्रतिवादी के साथ एक साथ रहना असंभव हो गया है।
3. वादिया ने अपने वादपत्र में आगे यह अभिकथित किया है कि वादिया व

प्रतिवादी दो वर्ष से अलग–अलग रह रहे है। अब दोनों का पुनः दाम्पत्य जीवन स्थापित करना असंभव हो गया है। वादिया व प्रतिवादी के मध्य वैचारिक मतभेदों के उपरान्त दो वर्षों से पूर्णतः दाम्पत्य सम्बन्ध आपस में विरक्त है। हस्तगत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होकर उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। इसलिए वादिया व प्रतिवादी के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांक 27–11–2016 को विच्छेद की डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर वादपत्र में अभिकथित तथ्यों को स्वीकार करते हुये वादिया व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 27–11–2016 को सम्पन्न हुये विवाह को विच्छेदित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।
5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण के निर्णयार्थ निम्न विचारणीय बिन्दु विरचित किया जाता हैः–

    1. आया वादिया व प्रतिवादी का विवाह दिनांक 27–11–2016 को आदिवासी समाज में प्रचलित विधि के अनुसार सम्पन्न होने के उपरान्त दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने से वे करीब 02 वर्ष से दाम्पत्य सम्बन्ध से विरक्त होकर पृथक–पृथक निवास कर रहे है, इस कारण वादिया विवाह–विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

    2. अनुतोष?

6. वादिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0ड0–1 के रूप में स्वयं के बयान लेखबद्ध लेखबद्ध करवाये गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–1, वादिया श्रीमती पिंकी का आधार कार्ड प्रदर्श–2 प्रदर्शित करवाये गये है।
7. प्रतिवादी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

विचारणीय बिन्दू संख्या–1

9. न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दू संख्या–1 निम्न प्रकार से कायम किया गया है किः–

> **''आया वादिया व प्रतिवादी का विवाह दिनांक 27–11–2016 को आदिवासी समाज में प्रचलित विधि के अनुसार सम्पन्न होने के उपरान्त दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने से वे करीब 02 वर्ष से दाम्पत्य सम्बन्ध से विरक्त होकर पृथक–पृथक निवास कर रहे है, इस कारण वादिया विवाह–विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है?''**

10. उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में वादिया पी0ड0–1 श्रीमती पिंकी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार ही कथन करते हुये यह साक्ष्य दी है कि वादिया का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक 27–11–2016 को कस्बा कुचामन सिटी में आदिवासी समाज की स्थानीय विधि व समाज में प्रचलित हिन्दू अनुष्ठानों के अनुसार संपादित हुआ था। पक्षकारान के विवाह के पश्चात् पुत्र पर्सून एवं पुत्री सुश्री राशिका उत्पन्न हुई। उसके उपरान्त वादिया व प्रतिवादी के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए, जिस कारण वे दोनों विगत दो वर्षो से दाम्पत्य सम्बन्धों से पूर्णतः विरक्त है। इसलिए वादिया का प्रतिवादी के साथ सम्पन्न विवाह दिनांक 27–11–2016 को विच्छेदित किया जावे। वादिया ने अपनी साक्ष्य के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–1 एवं आधार कार्ड को प्रदर्श–2 के रूप में प्रदर्शित करवाया है।
11. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसकी शादी दिनांक 27–11–2016 हुई थी। उसका विवाह सामाजिक परम्परा के साथ सम्पन्न हुआ था। उसके दो संताने है, जो उसके पास है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उनके मध्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि वे दो साल से अलग–अलग रह रहे है।
12. वादिया की उक्त साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–1 के अनुसार वादिया व प्रतिवादी का विवाह दिनांक 27–11–2016 को कस्बा कुचामन सिटी में

होकर वादिया व प्रतिवादी का पति व पत्नी होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

13. इसके अतिरिक्त वादिया की ओर से जो उपरोक्त मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी का विवाह दिनांक 27–11–2016 को कस्बा कुचामन सिटी में होने एवं विवाह के पश्चात् वादिया व प्रतिवादी के मध्य वैचारिक मतभेदों के कारण दाम्पत्य सम्बन्ध विगत दो वर्षो से पूर्णतः विरक्त होने का तथ्य दर्शित होता है। इसके साथ ही प्रतिवादी निर्मल ने इकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अभिकथित किया है।

14. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार जो साक्ष्य वादिया की ओर से प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का विवाह दिनांक 27–11–2016 को आदिवासी समाज की प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार विधिवत् सम्पन्न होने का तथ्य प्रमाणित होता है। वादिया की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य से दोनों पक्षों के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण दाम्पत्य सम्बन्ध समाप्त होने का तथ्य दर्शित होता है एवं उक्त तथ्य की ताईद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब से भी होती है। इसलिए वादिया, प्रतिवादी के विरूद्ध विवाह–विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी पाई जाती है। फलतः विचारणीय बिन्दू संख्या–1 को वादिया अपने पक्ष में प्रमाणित करने में बखूबी सफल रही है। अतः विचारणीय बिन्दू संख्या–1 बहक वादिया निर्णित किया जाता है।

अनुतोषः–

15. चूंकि वादिया विचारणीय बिन्दू संख्या–1 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रही है। अतः वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

::–आदेश::–

16. अतः: वादिया श्रीमती पिंकी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् विवाह विच्छेद घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी निर्मल कुमार स्वीकार किया जाकर वादिया श्रीमती पिंकी व प्रतिवादी निर्मल कुमार के मध्य दिनांक 27–11–2016 को

कस्बा कुचामन सिटी में आदिवासी समाज में प्रचलिति विधि एवं हिन्दू अनुष्ठानों के अनुसार सम्पन्न हुये विवाह को विच्छेदित किए जाने की घोषणा की जाती है। इस निर्णय के अनुरूप डिक्री निर्मित की जावें।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज.)

17. निर्णय आज दिनांक 02–05–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज.)